



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102024-257790
CG-DL-E-09102024-257790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/आश्विन 17, 1946

No. 574]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 630(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) दूसरा संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के, नियम 3क के, उप-नियम(1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“परन्तु ऐसे प्रारंभ की तारीख पर न्यायनिर्णयन अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक के समक्ष लम्बित कार्यवाहियां ऐसे प्रारंभ से पूर्व विद्यमान नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी रहेंगी।”

[फा. सं. 1/25/2013-सीएल-V(पार्टी)]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 254(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सा.का.नि. 131(अ), तारीख 19 फरवरी, 2019 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) तारीख 5 अगस्त, 2024 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024.

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Second Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

2. In the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, in sub-rule (1) of rule 3A, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the proceedings pending before the Adjudicating Officer or Regional Director on the date of such commencement shall continue as per provisions of these rules existing prior to such commencement.”.

[F. No. 1/25/2013-CL-V(Part)]

MANOJ PANDEY. Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), *vide* number G.S.R. 254(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 131(E) dated 19th February, 2019 and *vide* notification number G.S.R. 476(E) dated 5th August, 2024.